न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/221/2018

उनवान

1. श्रीमती भगवती देवी पत्नी अरविन्द कुमार गग्गड निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार, जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के
प्रकरण संख्या 2285/2016 निर्णय दिनांक 3.2.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री एस एम कुमावत ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र घोषणा हक अधिकार एव स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया । जिसके प्रकरण संख्या 768/2002 दर्ज किये गये। उक्त वाद पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2008 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया । जिसे पुनः नम्बर पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

लेने लिये जाने हेतु अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 व सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण निर्णय दिनांक 3.2.2016 को खारिज किया गया । अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं कर निगरानी माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की । जिस पर निगरानी 2785/2016 माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर में दर्ज की गई एवं निर्णय दिनांक 22.5.2018 से माननीय राजस्व मण्डल ने अपीलार्थी/निगराकार की निगरानी को यह अंकन करते हुए खारिज कर किया कि उक्त आदेश की निगरानी नहीं होकर सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है । जिस पर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपीलार्थीया द्वारा राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश की, जिसकी निगरानी संख्या टी ए संख्या 2785/2016जिला भीलवाडा श्रीमती भगवती देवी बनाम तहसीलदार, भीलवाडा कायम हुए , जिसमें राजस्व मण्डल, अजमेर, भीलवाडा द्वारा दिनांक 22.5.2018 को निर्णय पारित करते हुए निगरानी राजस्व मण्डल, अजमेर में पोषणीय नहीं होने से खारिज की गई व उक्त आदेश दिनांक 3.2.2016 को अधिकारिता के न्यायालय में अपील पेश करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। जिस पर नकल दिनांक 5.6.2018 को प्राप्त हुई व जानकारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

होते हुए यह अपील अविलम्ब प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब की अवधि को क्षम्य की जावे।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा वाद पत्र बाबत घोषणा , हक अधिकारों एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। उस समय अपीलार्थीया/वादिया के अधिवक्ता ने अपीलार्थी/वादिया को कहा कि वाद पत्र रेवेन्यू कोर्ट में चलेगा एवं अपीलार्थीया चूंकि वृद्ध है तथा जब भी जरूरत होगी तभी अपीलार्थीया को सूचित कर बुला लिया जायेगा। परन्तु अपीलार्थीया/वादिया के अधिवक्ता ने काफी समय गुजर जाने के बाद भी कोई सूचना नहीं दी । चूंकि अपीलार्थीया कैंसर की बीमारी से पीडित है जो अक्सर बीमार रहती है। अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाई । दिनिंक 9.1.2016 को अपीलार्थीया ने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो जानकारी हुई कि प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। प्रकरण को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। जिस पर अपीलार्थी ने निर्णय की प्रति प्राप्त कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को प्रथम पेशी पर ही खारिज फरमा दिया गया । अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 09 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी में पारित निर्णय की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई।

5. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि माननीय राजस्व मण्डल , राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 22.5.2018 को निर्णय पारित किया गया एवं निर्देशित किया गया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नियम 9 जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में में खारिज किया । जिस पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 09 व सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी मे पारित आदेश की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई। जहॉ से माननीय राजस्व मण्डल ने अपीलार्थीया/निगराकार की निगरानी को निरस्त करते हुए निर्देशित किया कि प्रार्थना प0 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी में पारित आदेश की निगरानी प्रस्तुत नहीं की जाती है उसकी अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। जिस पर अविलम्ब अपीलार्थीया ने माननीय न्यायालय में हाजा में अपील प्रस्तुत की है। चूंकि अपीलार्थीया वृद्ध व बीमार महिला है जिसे कानून की जानकारी नहीं है। अपीलार्थीया/वादिया का वाद पत्र उनके अधिवक्ता की लापरवाही के कारण खारिज फरमाया गया था। जबकि अधिवक्ता की लापरवाही की सजा वादिया को दिया जाना उचित नही है। अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जावे कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे।

6. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य अधिवक्ता निवेदन है कि वादिया का दायित्व था कि वह अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में रहती एवं अपने प्रकरण के विचारण हेतु सजग रहती । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है। मूल वाद के निस्तारण के उपरान्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण खारिज किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. प्रकरण में अपीलार्थीया/वादिया ने वाद पत्र हक अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया जो अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया । इस बाबत अपीलार्थीया का कथन है कि वह कैसर की बीमारी से पीडित है एवं अनपढ महिला है एवं उनके अधिवक्ता द्वारा उनको समय पर सूचित नहीं किया गया । जानकारी करने पर पता चला कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जा चुका है एवं अपीलार्थीया/वादिया का वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। जिस पर अपीलार्थीया ने प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जाब्तादीवानी प्रस्तुत कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिवाये जाने का निवेदन किया । उक्त आवेदन पत्र को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। जिसकी अपील नहीं कर अपीलार्थीया ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत कर दी। इसलिए माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी को खारिज कर दी एवं सक्षमता वाले न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया ।

9. आदेश 43 नियम 1 सी में निर्देशित किया गया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 में पारित आदेश की निगरानी नहीं होकर अपील प्रस्तुत की जाती है। इस आधार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर अपीलार्थीया की निगरानी खारिज की है साथ ही सक्षमता वाले न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्रता भी प्रदान की है। इसलिए अपीलार्थीया द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। चूंकि मूल वाद में पक्षकारो के हक हितों का बाद विचारण अंतिम तौर पर निस्तारण होता है। अपीलाधीन मामले में अधिवक्ता की लापरवाही से अपीलार्थीया/वादिया का वाद पत्र खारिज किया गया है। प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी को खारिज किया गया है। चूंकि महिला वृद्ध होकर अनपढ है तथा कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त है। उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें समय पर सूचित नहीं किया गया है। यद्यपि वादिया की स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में रहे एवं अपने प्रकरण में चल रही प्रोग्रेस की जानकारी समय समय पर प्राप्त करें । परन्तु अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत कारणों को ध्यान में रखते हेतु अपीलार्थीया के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थीया की अपील को स्वीकार करना उचित समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.2.2016 निरस्त करते हुए अपीलार्थीया/वादिया के वाद को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवाई का अवसर प्रदान कर वादपत्र का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28/9/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा